

बिहार सरकार,
श्रम संसाधन विभाग

आदेश

पटना, दिनांक- 30/8/19

संख्या-5/श्रम स्था० (2) 04/2016 श्र०सं०.....2085/श्री गणेश कुमार झा, अपर मुख्य सचिव के सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को कार्यहित में अगले आदेश तक श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना का जन सम्पर्क पदाधिकारी घोषित किया जाता है। ये विभाग की ओर से आधिकारिक सूचना समाचार पत्रों/चैनलों को उपलब्ध कराने के लिए नोडल पदाधिकारी के रूप में प्राधिकृत होंगे।

2. प्रस्ताव में अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

(सचिव)
30.8.19

(सतीश कुमार शाही)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-5/श्रम स्था० (2) 04/2016.....2085/ पटना, दिनांक- 30/8/19

प्रतिलिपि : सभी विभाग/विभागाध्यक्ष, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(सचिव)
30.8.19

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-5/श्रम स्था० (2) 04/2016.....2085/ पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा-4, सरकार पक्ष, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को जन सम्पर्क पदाधिकारी की संचिकाओं के संघारण करने हेतु प्रेषित।

(सचिव)
30.8.19

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-5/श्रम स्था० (2) 04/2016.....2085/ पटना, दिनांक- 30/8/19

प्रतिलिपि : मा० मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के सभी पदाधिकारी/श्रमायुक्त, बिहार, पटना/निदेशक नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना (दोनों पक्ष)/निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, बिहार, पटना/श्री गणेश कुमार झा, अपर मुख्य सचिव के सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर (विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ) श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(सचिव)
30.8.19

सरकार के अवर सचिव।